न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट

प्र.क्र. 117/निग./17/सतना/4145

रीवा म0प्र0

1. रामबली चौधरी तनय परमेश्वरा चौधरी

2. बद्री चौधरी तनय परमेश्वरा चौधरी

3. रामलाल चौधरी तनय परमेश्वरा चौधरी

तीनो निवासी ग्राम मंलगांव तहसील कोटर पूर्व तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0..निगराकारगण

श्री आर.एल. त्रिपाठी एड. द्वारा पेश/27/10/17
27.10.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

1. चुनवादी तनय स्व0 मंगाली चमार

2. रामसखा तनय श्री चुनवादी चमार

3. रामलखन तनय चुनवादी चमार

तीनो निवासी ग्राम मलगांव तहसील कोटर पूर्व तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

4. न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0..गैरनिगकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सहि0 1959

निगरानी बिरूद्ध आदेश दिनांक 10.10.2017 एवं 18.10.2017 अपील प्रकरण क0 173/अपील/2016–17 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

रामबली चौधरी

क्रमशः—2

आर0एल0 त्रिपाठी
एडवोकेट
25-10-017
जिला न्यायालय, सतना (म.प्र.)

साक्षी

पंजी क्र0

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/सतना/2017/भूरा/4145

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.06.18	आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्र0 क0 173/2016–17/अपील में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18.10.17 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आवेदक रामबली, बद्री, रामलाल चौधरी पिता श्री परमेश्वर चौधरी निवासी मलगावं के द्वारा आराजी कमांक 145, रकवा 15.31 एकड़ का अंश रकवा 6.10 एकड़ आराजी नं0146 रकवा 1.14 एकड़ का अंश रकबा 0.70 एकड, आराजी न. 147 रकबा 9.72 का अंश रकबा 0.10 एकड जुमला रकबा 6.90 एकड का निम्नलिखित खसरा सुधार आवेदकगणों के नाम किया जावे।तहसीलदार तहसील कोटर जिला सतना द्वारा दिनांक 22.08.17 द्वारा आवेदकगणों के नाम म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार किया गया जिससे दुखित होकर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमे उनके द्वारा दिनांक 18.10.17 द्वारा तहसीलदार कोटर के आदेश दिनांक 22.0817 के विरूद्ध स्थगन चाहा गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.17 को स्थगन पारित किया गया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान के न्यायालय में आवेदक द्वारा केबियट आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था उसके बाद भी अनावेदक को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय कोटर को आदेश का कियान्वयन स्थिगित किए जानें बावत धारा 52 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था जिसके द्वारा अनावेदक को प्रकरण में स्थगन दिया जा चुका था। आवेदक	

अधिवक्ता द्वारा, यह भी बताया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी अनावेदकगण के प्रभाव में आकर उक्त स्थगन दिया गया है जो कि विधि प्रकिया से उचित नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 18.10.17 निरस्त किया जाने का अनुरोध किया गया।

4– प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18.10.17 को म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 52 (2) के आवेदन पर तर्क सुने। उसके पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 52 (2) के आवेदन पर अपील या पुनिरीक्षण प्राधिकारी किसी भी समय यह निर्देश दे सकेगा कि उस आदेश का जिसकी की अपील की गई या जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण किया गया है निस्पादन रोक दिया जा सके। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 18.10.17 को जारी स्थगन अभिलेख तलब होने तक स्थगन दिया तथा प्रकरण में 25.10.17 पेशी नियत की गई। लेकिन आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्थगन दिये जाने बावत् कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की इससे यह सिद्ध होता है कि वह स्थगन दिनांक 25.10.17 के पूर्व ही अभिलेख प्राप्त हो गया हो तो स्थगन अपने आप ही समाप्त हो जायेगा। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18.10.17 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्र0 क0 173/2016–17/अपील में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 18.10.17 स्थिर रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होनें से अग्राह्य की जाती है।

सदस्य